माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)
Website- msuniversity.ac.in
Email ID – nss@msuniversity.ac.in

पत्रांकः 951 /रा0से0यो0/एम0एस0यू0/2022–23 दिनांकः 14/07/22

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,
सहारनपुर।

विषयः– **"एक युद्ध नशे के विरूद्ध" बच्चों द्वारा नशीली दवाओं और मादक पदार्थो का दुरूपयोग और इसके अवैध व्यापार के रोकथाम पर संयुक्त कार्ययोजना का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ के पत्रांक–1897/सत्तर–3–2022 दिनांक 13 जुलाई, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 07.07.2022 को आयोजित बैठक में अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ द्वारा प्रदेश में स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये है–

1. सभी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि के अन्दर तम्बाकू, पान, बीड़ी, शराब आदि की दुकाने न हो (कोटपा) अधिनियम 2003 की धारा–4(ख)।
2. उच्च शिक्षण संस्थानों के गेट पर इस हेतु साइन बोर्ड लगाया जाये जिसमें Quitline Toll Free No-1800-11-2356 भी अंकित हों।
3. उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रहरी क्लब की स्थापना की जाये, जिसमें 20 से 25 छात्र होगें।
4. यह प्रहरी समूह उच्च शिक्षण संस्थानों में नशा विरूद्ध जागरूकता अभियान चलायेंगे तथा अन्य छात्रों की निगरानी भी करेंगे।
5. किशोर न्याय अधिनियम की धारा–77 व 78 के अन्तर्गत पाये गये मामलों में विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये।

अतः आप कृपया अपने–अपने महाविद्यालयों में तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

सलग्नंक– यथोपरी।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 14/7

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुलसचिव, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर
2. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।

कार्यक्रम समन्वयक

(196) (2)

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध
संख्या–1897/ सत्तर–3–2022

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

समन्वयक (NSS)
15.7.22

सेवा में,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ: दिनाँक 13 जुलाई, 2022

विषयः– "एक युद्ध नशे के विरूद्ध" बच्चों द्वारा नशीली दवाओं और मादक पदार्थों का दुरूपयोग और इसके अवैध व्यापार के रोकथाम पर संयुक्त कार्ययोजना का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 07.07.2022 को अपरान्ह 03:00 बजे बाल आयोग में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ द्वारा "एक युद्ध नशे के विरूद्ध" बच्चों द्वारा नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के दुरूपयोग और इसके अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देश दिये गयेः–

1. सभी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि के अन्दर तम्बाकू, पान बीड़ी, शराब आदि की दुकाने न हो (कोटपा) अधिनियम 2003 की धारा–4(ख)।
2. उच्च शिक्षण संस्थानों के गेट पर इस हेतु साइन बोर्ड लगाया जाये जिसमें Quitline Toll Free No-1800-11-2356 भी अंकित हो।
3. उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रहरी क्लब की स्थापना की जाये, जिसमें 20 से 25 छात्र होगें।
4. यह प्रहरी समूह उच्च शिक्षण संस्थानों में नशा विरूद्ध जागरूकता अभियान चलायेंगे तथा अन्य छात्रों की निगरानी भी करेंगे।
5. किशोर न्याय अधिनियम की धारा–77 व 78 के अन्तर्गत पाये गये मामलों में विश्वविद्यालय के कुल सचिव तथा महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी जाये।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या– 1897 (1)/सत्तर–3–2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ।

2– कुलपति, समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

3– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध